



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

अधिसूचना

बी०एस-सी० कृषि द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2020 में अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका का सम्बन्धित विषय के शिक्षको से मूल्यांकन कराने के पश्चात् उनकी संस्तुतियों एवं अनुचित साधन प्रयोग सम्बन्धित अध्यादेश में विहित प्राविधानों के आलोक में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाये जाने के कारण उनकी वर्ष 2020 की परीक्षा निरस्त की जाती है -

क्र०सं०	का०को०	महा०का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	अनुक्रमांक	कक्षा	विषय	प्र०को०
1	220	चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय पदमापुर पाण्डवनगर, बस्ती।	सुधीर कुमार	20220762110200	बी०एस-सी द्वितीय सेमेस्टर	कृषि	2419
2	220	चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय पदमापुर पाण्डवनगर, बस्ती।	शशांक शंखर	20220762110186	बी०एस-सी द्वितीय सेमेस्टर	कृषि	2418
3	220	चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय पदमापुर पाण्डवनगर, बस्ती।	सुमन कुमार	20220762110201	बी०एस-सी द्वितीय सेमेस्टर	कृषि	2418

(शेख अजुम)
30-6-21

सहायक कुलसचिव(यू०एफ०एम०)
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: 147/सि०वि०वि०क०सि०/गो०अनु०/2021 तद्दिनांक 30.06.2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. प्रभारी,परितुलन/गोपनीय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सारणीयन पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियाँ कर परीक्षाफल निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।
4. प्रभारी, कोडिंग सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की बेवासाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

सहायक कुलसचिव(यू०एफ०एम०)